रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933
No. 247] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/10/2011-एनएस-II.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि किसान विकास पत्रों की बिक्री, बुधवार को समाप्त होने वाले कारोबार की तारीख 30 नवम्बर, 2011 से बंद हो जाएगी ।

एम. ए. खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

No.F. 1/10/2011-NS-II.—It is notified for general information that the sale of Kisan Vikas Patras shall be discontinued with effect from the close of business on Wednesday, the 30th November, 2011.

M. A. KHAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/12/2011-एनएस-II.—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि प्राधिकृत मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटों को मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन उनके द्वारा निष्पादित किए गए करार के निबंधनों के अनुसार लघु बचत योजनाओं में प्रचार/निवेश प्राप्त करने पर निम्नांकित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा :—

(क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई)	**दर**
(i) पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाता	—4 प्रतिशत

(ख) मानकीकृत एजेंसी प्रणाली (एसएएस)

(i)	एक वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(ii)	दो वर्षीय और तीन वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(iii)	पांच वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(iv)	मासिक आय खाता योजना	—0.5 प्रतिशत
(v)	पांच छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)	—0.5 प्रतिशत
(vi)	दस वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	—0.5 प्रतिशत

2. लोक भविष्य निधि योजना (1%) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (0.5%) के संबंध में दिया जाने वाला कमीशन समाप्त किया जाएगा।

3. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिया जाने वाला कोई प्रोत्साहन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले कमीशन में से कम कर दिया जाएगा।

4. ये अनुदेश पहली दिसम्बर, 2011 से लागू होंगे।

एम. ए. खान, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

No. F. 1/12/2011-NS-II.—The Central Government hereby notifies that the authorised Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) agents for canvassing/securing investments in the small savings schemes as per the terms of agreement executed by them under the Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) will be paid commission at the rate indicated below :

		Rate
(A)	**Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY)**	
(i)	Five Year Recurring Deposit Account	—4%
(B)	**Standardised Agency System (SAS)**	
(i)	One-year Time Deposit	—0.5%
(ii)	Two-year and 3-year Time Deposit	—0.5%
(iii)	Five-year Time Deposit	—0.5%
(iv)	Monthly Income Account Scheme	—0.5%
(v)	Five/Six-year National Savings Certificate (VIII-Issue)	—0.5%
(vi)	Ten-year National Savings Certificate (IX-Issue)	—0.5%

2. Payment of commission on Public Provident Scheme (1%) and Senior Citizens Savings Scheme (0.5%) shall be discontinued.

3. Incentive, if any, paid by State/Union Territory Governments shall be reduced from commission paid by the Central Government.

4. These instructions shall take effect from the 1st day of December, 2011.

M. A. KHAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 2252] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

का.आ. 2681(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 5 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि निधि में दिसम्बर की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदानों तथा अभिदाताओं के खाते में जमा शेष पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज दिया जाएगा ।

[फा. सं. 1/9/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 48(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे बाद में का.आ. 192(अ), तारीख 1 मार्च, 2011, का.आ. 271(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 तथा का.आ. 250(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

S.O. 2681(E).—In pursuance of Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968) the Central Government hereby notifies that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of December, 2011 and balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.6 per cent per annum.

[F. No. 1/9/2011-N.S.-II]

M. A. KHAN, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 48(E), dated 15th January, 2000 and subsequently amended *vide* S.O. 192(E), dated 1st March, 2011, S.O. 271(E), dated 1st March, 2002 and S.O. 250(E), dated 1st March, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

का.आ. 2682(अ).—केन्द्रीय सरकार, डाकघर बचत लेखा नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि किसी खाते में जमा अतिशेष पर दिया जाने वाला ब्याज 1 दिसम्बर, 2011 से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अनुज्ञात होगा ।

[फा. सं. 1/10/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

S.O. 2682(E).—In pursuance of rule 6 of the Post Office Savings Account Rules, 1981, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st day of December, 2011, interest on the balance at credit of an account shall be allowed at the rate of four per cent per annum.

[F. No. 1/10/2011-N.S.-II]

M. A. KHAN, Under Secy.

4337 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 641] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 841(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये दिसंबर, 2011 के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2011 के नियम 9 में, -

(क) उप नियम (1) में

(i) उप नियम (1) में "राज्य सरकार की प्रतिभूतियां" शब्दों के पश्चात "अथवा किसी अन्य लिखत में" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया किया जाएगा।

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"10 निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियां उप नियम (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार निर्गमित की जाएंगी। उप नियम (5) और उप नियम (6) यथावर्णित उपयुक्त लेखा प्रविष्टियां मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएंगी।"

[फा. सं. 1/12/2011-एन.एस.-II

एम. ए. खान, अव...

टिप्पण: मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ) तारीख 27 फरवरी, 2001 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात सा.का.नि.587(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Amendment Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, in rule 9,-

(a) In sub-rule (1),-

(i) after the words "State Government Securities", the words "or in any other instrument" shall be inserted;

(ii) proviso shall be omitted;

(b) For sub-rule (10), the following shall be substituted, namely:-

"(10) The amount received on maturity of the investments shall be invested in the Central Government and State Government securities. Such securities shall be issued in accordance with the provision contained in sub-rule (3). Suitable accounting entries as mentioned in sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be made by the Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance".

[F. No. 1/12/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 114(E), dated the 27th February, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 587(E) dated the 12th September, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 842(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) दूसरा संशोधन नियम, 2011 है।

   (2) ये 01 दिसंबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में, -

   (क) उप नियम (6) में "1 मार्च, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 मार्च, 2003 किंतु 1 दिसंबर, 2011 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

   (ख) उप-नियम (6) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

   "(6क) जहां कोई पत्र 1 दिसंबर, 2011 को या इसके पश्चात क्रय किया गया है, वहां किसी मूल्यवर्ग के पत्र की परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष होगी जो पत्र के जारी होने की तारीख से आरंभ होगी। उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 150.90 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में पत्र के धारक या धारकों को उद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार उद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुन: विनिधान किया गया है और पत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

सारणी

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के पत्र पर उद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपये में)
पहला वर्ष	8.58
दूसरा वर्ष	9.31
तीसरा वर्ष	10.11
चौथा वर्ष	10.98
पांचवा वर्ष	11.92

टिप्पण: किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी पत्र पर उद्भूत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।" प्रमाणपत्र पर उपार्जित ब्याज राशि उपर्युक्त सारणी में यथा-निर्दिष्ट के समानुपातिक होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (4) में, -

(क) खंड (iv) में "1 मार्च, 2003 को" अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "1 मार्च, 2003 को किन्तु 1 दिसंबर, 2011 के पूर्व" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खंड (iv) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात, निम्नलिखित खंड और सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(v) यदि 1 दिसंबर, 2011 का या उसके पश्चात क्रय किया गया कोई पत्र, पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो संदेय रकम जिसके नियम 15 के अधीन उद्भूत ब्याज सम्मिलित है और रियायत के समायोजन के पश्चात, सौ रुपये के अंकित मूल्य के पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

सारणी

प्रमाण पत्र की तारीख से इसके नगदीकरण तक की अवधि	संदेय रकम जिसमें ब्याज सम्मिलित है (रुपये में)
तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु तीन वर्ष और छ माह से कम	123.14
तीन वर्ष और छ: माह या उससे अधिक किंतु चार माह से कम	127.49
चार वर्ष या उससे अधिक किंतु चार वर्ष और छ: माह से कम	131.99
चार वर्ष और छ माह या उससे अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम	136.65

[फा. सं. 1/7/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम सा.का.नि. 496 (अ) तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 508 (अ) तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120 (अ) तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. सं. 491 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572 (अ) तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 179 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820 (अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि. 289 (अ) तारीख 13 मई, 2005 और सा.का.नि. 744 (अ) तारीख 4 अक्तूबर, 2011 द्वारा उत्तरवर्ती संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Second Amendment Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15,—

   (a) in sub-rule (6), for the figures, letters and words "1st day of March, 2003", the figures, letters and words "1st day of March, 2003 but before the 1st day of December, 2011," shall be substituted;

   (b) after sub-rule (6) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

   "(6A) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of December, 2011 the maturity period of a certificate of any denomination, shall be five years, commencing from the date of issue of the certificate. The amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs 150.90 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First year	8.58
Second year	9.31
Third year	10.11
Fourth year	10.98
Fifth year	11.92

   Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above".

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4),-

   (a) in clause (iv), for the figures, words and letters "1st day of March, 2003", the figures, words and letters "1st day of March, 2003 but before the 1st day of December, 2011" shall be substituted;
   (b) after clause (iv) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

   "(v) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1st day of December, 2011, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	123.14
Three years and six months or more, but less than four years	127.49
Four years or more, but less than four years and six months	131.99
Four years and six months or more, but less than five years	136.65

"

[F. No. 1/7/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide: G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005 and G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 843(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5), की धारा 15 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये पहली दिसंबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 (इन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में-

(क) उप-नियम 1 के खंड (क) की अनुसूची में, अंतिम प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

1.3.2003 से 30.11.2011 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	728.90
1.12.2011 से आगे	738.62

(ख) उप-नियम (2) के खंड (क) की अनुसूची में, अंतिम प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"1.3.2003 से 30.11.2011 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	728.90
1.12.2011 से आगे	738.62

3. उक्त नियम के नियम-10 के उप-नियम (2) की मद (क) और (ग) में "सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38 या 41" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 1, 2, 11, 13 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41 या 44" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम-11 के उप-नियम (2) की मद (ख) और (ग) में "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39 या 42" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42 अथवा 45 शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 12 में,

(क) उप-नियम (1) में, मद (ख) में, उप-मद (ii) में, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40 या 43" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 अथवा 46" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उप नियम (3) और (4) में, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 या 46" शब्द और अंकों के स्थान पर, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 या 46" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम सारणी 43 के पश्चात, निम्नलिखित सारणियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

सारणी 44
(नियम 10 देखें)

1 दिसंबर, 2011 को या इसके पश्चात खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, मासिक जमा के साथ चालू रखे गए खाते पर, संदेय ब्याज सहित, रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है	10 रुपये मूल्य वर्ग के खाते पर संदेय रकम (रुपये)
एक वर्ष	924.80
दो वर्ष	1126.32
तीन वर्ष	1344.46
चार वर्ष	1580.58
पांच वर्ष	1836.17

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम, ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

सारणी 45
(नियम 11 देखें)

1 दिसंबर, 2011 को या इसके पश्चात खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, मासिक जमा के साथ चालू रखे गए खाते पर, संदेय ब्याज सहित, रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है	10 रुपये के मूल्य वर्ग के खाते पर संदेय रकम (रुपये)
एक वर्ष	799.50
दो वर्ष	865.41
तीन वर्ष	936.75
चार वर्ष	1013.97
पांच वर्ष	1097.55

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्य वर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम, ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

'सारणी 46
(नियम 12 देखें)

1 दिसंबर, 2011 को या इसके पश्चात खोले गए पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर उसके विधि वारिस या नाम निर्देशिती को संदेय रकम।

जमा की गई राशियों की संख्या	10 रुपये के मूल्य वर्ग के लिए रकम (रुपये)	जमा की गई राशियों की संख्या	10 रुपये के मूल्य वर्ग के लिए रकम (रुपये)
1 से 11	किए गए निक्षेप	36	406.44
12	125.09	37	420.48
13	135.95	38	433.33
14	146.88	39	446.27
15	157.88	40	459.29
16	168.95	41	472.40
17	180.09	42	485.59
18	191.31	43	498.88
19	202.59	44	512.25
20	213.95	45	525.70
21	225.37	46	539.25
22	236.87	47	552.89
23	248.45	48	566.62
24	260.10	49	580.44
25	272.12	50	594.35
26	283.94	51	608.35
27	295.84	52	622.44
28	307.81	53	636.63
29	319.86	54	650.92
30	331.99	55	665.29
31	344.20	56	679.76
32	356.49	57	694.33
33	368.86	58	709.00
34	381.30	59	723.76
35	393.83	60	738.62

टिप्पण: अन्य मूल्य वर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी।"

[फा. सं. 1/7/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 666 (अ) तारीख 17 दिसंबर, 1981 के तहत प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 301 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 258 (अ) तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 62 (अ) तारीख 14 फरवरी, 1984, सा.का.नि. सं. 95 (अ) तारीख 7 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 194 (अ) तारीख 13 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 363 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 39 (अ) तारीख 16 फरवरी, 1988, सा.का.नि. 458 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. 708 (अ) तारीख 21 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 16 (अ) तारीख 9 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 190 (अ) तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 579 (अ) तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 918 (अ) तारीख 11 दिसंबर, 1992, सा.का.नि. 42 (अ) तारीख 1 फरवरी, 1993, सा.का.नि. 587 (अ) तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 2 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 748 (अ) तारीख 4 नवंबर, 1999, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 152 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 160 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 514 (अ) 23 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 662 (अ) तारीख 23 सितंबर, 2002, सा.का.नि. 175 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 588 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 838 (अ) तारीख 27 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. 480 (अ) तारीख 26 जून, 2008 और सा.का.नि. 740 (अ) तारीख 4 अक्तूबर, 2011 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Second Amendment) Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9,—

   (a) in the Schedule under clause (a) of sub-rule (1), for the last entry, the following entries shall be substituted, namely:-

   "From 1.3.2003 to 30.11.2011 (both dates inclusive) 728.90
   From 1.12.2011 onwards ....738.62";

   (b) in the Schedule under clause (a) of sub-rule (2), for the last entry, the following entries shall be substituted, namely:-

   "From 1.3.2003 to 30.11.2011 (both dates inclusive) 728.90
   From 1.12.2011 onwards ....738.62".

3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (2), in items (a) and (c), for the words and figures "Tables 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38 or 41", the figures and words "Tables 1, 2, 11, 13 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41 or 44" shall be substituted.

4. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2), in items (b) and (c), for the words and figures "Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39 or 42", the words and figures "Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42 or 45" shall be substituted.

5. In rule 12 of the said rules,-

   (a) in sub-rule (1), in item (b), in sub-item (ii), for the words and figures "Tables 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40 or 43", the words and figures "Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 or 46" shall be substituted.
   (b) in sub-rule (3) and sub-rule (4), for the words and figures "Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40 or 43", the words and figures "Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 or 46" shall be substituted.

4335 GI/11-2